न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22(ए)/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/31)

निर्णय दिनांकः 8-12-25

1. गावर पत्नी सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी चक 4 डी.के.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. कुरबान खां पुत्र शरीफ खां जाति मुसलमान निवासी कंकराला तहसील पूगल जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04—10—2022
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 04—10—2022 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन मिडियम पेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि चक 4 डी. आर.एम के मुरब्बा नं. 189/1 किला नं 3 ता 8, 12 ता 19, 22 ता 25 की 18 बीघा खरीदशुदा खातेदारी भूमि अपीलांट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि एस.डी.ओ. पूगल के वाद पत्र सं. 58/2012 में पारित आदेश व डिग्री दिनांक 13.02.2019 की पालना में अपीलांट के नाम दर्ज की गई है जिस पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर मौके की जांच किये बगैर उक्त भूमि का मिडियम पेच के रूप में आवंटन रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम से कर दिया जबकि उक्त भूमि वरवक्त आवंटन खातेदारी भूमि थी जिसका किसी भी सूरत में आवंटन नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह बैकडेट में समस्त कानून व नियमों की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेंट सं. 1 से मिलीभगत करके केवल मात्र रेस्पोडेंट सं. 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है क्योंकि उक्त आवंटन हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस पर दिनांक 12.10.2021 की तारीख में आवंटन का मार्क किया हुआ है। उस प्रार्थना पत्र को किसी भी आदेश से तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के लिये भिजवाये जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। परन्तु इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एकतरफा रिपोर्ट की हुई है और गिरदावर ने भी बिना किसी जांच के उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये और तहसीलदार पूगल के हस्ताक्षर करवाकर डिस्पेच नम्बर व दिनांक में कटिंग करके दिनांक 24.11.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. पूगल के समक्ष प्रेषित किये जाने का उल्लेख है परन्तु दिनांक 24.11. 2021 को उक्त प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. पूगल को भिजवाये जाने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्ति के हस्ताक्षर व रिसिप्ट का नम्बर अंकित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट से करीब 10 माह पश्चात् अचानक दिनांक 14.09.2022 को एक नोटशीट बनाई गई जिसमें तहसीलदार पूगल की रिपोर्ट के आधार पर व प्रार्थी का सिलिंग से अधिक भूमि नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न होना अंकित करते हुए नोटिस व सार्वजनिक सूचना जारी की जानी प्रस्तावित की गई जो उसी दिनांक 14.09. 2022 की दिनांक को डिस्पेच नं. 3732 से 3736 तक सार्वजनिक सूचना व 3737 से सन्तो देवी को नोटिस जारी किया गया है जो कि समस्त कार्यवाही कानून व नियमों के विपरीत तथा बैक डेट में केवल मात्र रेस्पोडेंट को नाजायज रूप से लाभ पहुंचाने की गरज से किया गया है। अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तथा शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर बिल्कुल अलग अलग है जिससे उक्त आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट है साथ ही उक्त प्रक्रिया में जो नोटिस दिनांक 14.09.2022 को सन्तो देवी के नाम से जारी किया गया था उसके बाद तामील पत्रावली में शामिल किया जाना अंकित किया गया है जबकि सन्तो देवी के नाम का कोई नोटिस पत्रावली में बाद तामिल संलग्न ही नहीं है परन्तु इसके बावजूद भी समस्त कानूनी प्रक्रिया को नजर अंदाज करके जो अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना की नियमानुसार कोई तामील नहीं करवाई गई। उक्त सार्वजनिक सूचना का कार्यालय हाजा में किस दिनांक को किसके द्वारा चस्पा किया गया उसका कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है क्योंकि जो सार्वजनिक सूचना की एक ऑफिस कॉपी क्रमांक 3732, 3733–36 दिनांक 14.09.2022 है उसी की पुस्त पर बिना किसी दिनांक के व बिना किसी व्यक्तियों की वल्दियत व पहचान अंकित किये तामील रिपोर्ट पत्रावली में शामिल कर दी गई जो कि तामील की प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है साथ ही उक्त सार्वजनिक सूचना का तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा चक 4 डीआरएम के सहज दृश्य पर चस्पा किया ही नही गया। अगर उक्त सूचना सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करवाई जाती तो अपीलांट को निश्चित रूप आवंटन की जानकारी प्राप्त होती। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा पाता। परन्तु नियमानुसार व सही तामील की प्रकिया के अभाव में उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को जिस दिन उक्त वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई उस दिन उक्त भूमि अराजीराज दर्ज नही थी। नामान्तरण संख्या 163 दिनांक 16–6–2022 का अवलोकन किया जाए तो इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है। और जो भूमि पहले से किसी के नाम दर्ज हो वह आवंटन हेतु उपलब्ध ही नही हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2022 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.01.2023 को उस समय हुई जब अप्रार्थी सं. 1/रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया/अपीलांट की उपरोक्त वर्णित भूमि पर आया और बोला कि यह भूमि अब मैने अपने नाम से आवंटित करवा ली है और तुम इस भूमि का कब्जा छोड़ दो और मैं इस भूमि को अब मेरे नाम से रिकॉर्ड में दर्ज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करवाऊंगा। इस पर प्रार्थीया/अपीलांट ने उक्त भूमि उसकी खरीदशुदा खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होना बताया तो अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट कहने लगा कि मैने उक्त भूमि का पट्टा मेरे नाम से जारी करवा लिया है और मैं उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवा रहा हूँ इसलिये तुम्हारा अब इस भूमि में कोई अधिकार नहीं है इस पर अपीलांट अगले दिन दिनांक 12.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और जरिये वकील उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया और बाद तैयारी नकल मिलने पर अपने वकील से मिलकर बिना कोई समय खोये यह अपील पेश की है। ऐसी स्थिति में प्रथम जानकारी से मियाद का समय मानकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 189/1 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 19, 22 ता 25 में कुल 18 बीघा स्थित है। रेस्पोडेन्ट की भूमि उसी मुरब्बे में किला नम्बर 1, 2, 9, व 10 में स्थित है। वादग्रस्त भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा बतौर मीडियम पेच में आवंटन करवाने के लिए दिनांक 12–10–2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पूगल द्वारा उक्त भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, पूगल द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 8–11–2021 में उक्त भूमि अराजीराज होने तथा आवंटन के लिए निर्विवाद रूप से उपलब्ध होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक सूचना की चस्पानगी करते हुए व समस्त चिपते काश्तकारो को नोटिस जारी करते हुए पत्रावली दिनांक 04–10–2022 को नियत रखी गई। उक्त आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि रूप से आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत चालान जारी किया गया था चालान जमा करवाने पर आवंटन आदेश जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्यों के आधार पर एक दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया था तथा उक्त दावे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर खुद का कब्जा बताते हुए विधि विरूद्ध तरीके से दावा डिक्री करवा लिया। अपीलांट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई लेना देना नही है। अपीलांट द्वार जमाबंदी में दिनांक 07–07–2022 को उक्त वादग्रस्त भूमि उसके हक में रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया गया है परन्तु जब तहसीलदार, पूगल द्वारा दिनांक 08–11–2021 को जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें उक्त रकबा शुद्ध रूप से अराजीराज दर्ज था। अराजीराज उपलब्ध होने पर ही रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन हेतु आवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है। उसे अपील पेश करने का लॉक्स स्टेण्डाई हासिल नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2022 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24–01–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुरबान खां द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 4 डी.आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 189/1 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 18 बीघा भूमि को,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मीडियम पेच में आवंटन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2022 द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय को प्रकरण में निम्नाकिंत बिन्दूओं पर विनिश्चय करना है–

01. क्या वरवक्त आवंटन प्रश्नगत भूमि मीडियम पेच आवंटन के लिए उपलब्ध/अराजीराज भूमि थी अथवा नही?

02. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमो का पालन करते हुए विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आवंटन किया गया है अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 12–10–2021 को प्रश्नगत भूमि के मीडियम पेच आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–11–2021 को उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल को मौका रिपोर्ट भेजी गई। मौका रिपोर्ट के साथ नकल जमाबंदी दिनांक 28–10–2021 संलग्न की गई। जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार रिपोर्ट भिजवाने के वक्त प्रश्नगत भूमि अराजीराज थी और आवंटन के लिए उपलब्ध थी।

अपीलांट द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07–07–2022 की पालना में अपीलाधीन भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी थी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि का आवंटन दिनांक 04–10–2022 को किया गया। इस सूरत में अपीलाधीन आदेश द्वारा किये गये इस आवंटन से पूर्व ही प्रश्नगत भूमि अपीलांट के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो चुकी थी। जिस कारण यह भूमि मीडियम पेच आवंटन के लिए उपलब्ध नही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुरानी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चूंकि प्रश्नगत भूमि वरवक्त अपीलाधीन आवंटन रकबाराज भूमि नही थी इसलिए इसका मीडियम पेच में आवंटन नही किया जा सकता था। जहॉ तक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि सर्वप्रथम यह भूमि चक 4 डी.आरएम. के मुरब्बा नम्बर 189/3, 189/2, 169/59 व 189/4 की भूमि कासमअली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट द्वारा कासम अली से इस भूमि को खरीदा गया। इसके बाद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत कर इस भूमि के स्थान पर अपीलाधीन भूमि मुरब्बा नम्बर 189/1 का संशोधन करवा लिया गया। जबकि अपीलांट इस भूमि से काफी दूर कब्जा काश्त है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि रेस्पोडेन्ट यदि इस रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश से व्यथित है तो उसे इस आदेश को चुनौती देनी चाहिए। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश को कही चुनौती दी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल का निर्णय दिनांक 04–10–2022 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर